दीपक कुमार शर्मा, पुत्र स्व0 दुर्गालाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम नीमडी की पुलिस, चौकी के पास, नाहरगढ रोड, पुरानी बस्ती, जयपुर।

.....अपीलांटस

बनाम

1. सन्तोष पुत्र मोहनलाल
2. श्वेता उर्फ तुलसी शर्मा पुत्री मोहन लाल

   जातियान ब्राहम्ण, निवासी प्लाट नंबर 3659, शीतला माता की गली, नाहरगढ रोड, जयपुर।
3. रामगोपाल पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद
4. रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद
5. बृजमोहन पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद
6. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद
7. श्रतनलाल पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद

   जातियान ब्राहम्ण, निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

उपस्थितः–

1. श्री बृजेश पारीक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार व रामधन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक लगायत सात की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 23.01.2007 तहसीलदार, जमवारामगढ, द्वारा स्वीकृत किया गया।

निर्णय

दिनांकः 20.06.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 23.01.2007 जिससे नामान्तरकरण संख्या 589 ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 111 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 03 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 122 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 3 कुल 3 कुल रकबा 11 बीघा एवं हाल खसरा नंबर 13 रकबा 11 बीघा का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नं 1 लगायत 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.08.2017 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 7 की ओर से श्री

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

प्राप्त होने पर एवं वकील पक्षकारान द्वारा लिखित बहस दिये जाने पर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गयी लिखित बहस अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2007 नामान्तकरण संख्या 589 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी नवीन खसरा नम्बर 13 रकबा 11 बीघा भूमि पर अपीलान्ट ही काबिज काश्त चले आ रहा है। मिसल हकीयत बन्दोबस्ती संवत् 1987 के खाता संख्या 85 के अर्न्तगत उक्त भूमि की खातेदारी माफी भौंरीलाल वल्द सोनीलाल कौम ब्राहम्ण सा. देह देह जैपुर खुदकाश्त दर्ज है जो अपीलांट के दादा है। अपीलांट के दादा का स्वर्गवास 10.10.1965 को हो गया एवं अपीलांट के पिता दुर्गालाल का देहान्त 16.12. 1967 को हो चुका है। अपीलांट के दादा स्व. भौरींलाल के देहान्त के पश्चात रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी ने अपने आपको सर्वथा गलत तरीके से अपीलांट के दादा की पत्नि बताते हुए मिलीभगत व साजिश कर अपीलाधीन भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली। जबकि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी अपीलांट के दादा भौरींलाल की पत्नि नहीं होकर भूरा पुत्र रामसहाय की पत्नी थी जो जीवनभर भूरा पुत्र रामसहाय की पत्नि रही थी। राजस्व ग्राम नेकावाला तहसील जमवारामगढ की सरहद में स्थित अन्य कृषि भूमि के भू अभिलेख के खाता संख्या 29 में गुलाब देवी पत्नि भूरा दर्ज है। इसी प्रकार न्यायालय उप जिलाधीश आमेर में मु0न0 84/1977 तारीख निर्णय 09.05. 1978 में भी गुलाब पत्नि भूरा दर्ज है। विकय पत्र दिनांक 24.05.1977 में भी गुलाब देवी ने अपने पति का नाम भूरा अंकित किया है। गुलाब देवी का देहान्त दिनांक 23.04.1979 को हो गया। रेस्पा0 संख्या 1 व 2 ने अपीलाधीन भूमि में कोई हक क्लेम नही किया एवं बदनीयति से जमीनो के भावों में वृद्वि हो जाने पर गलत खातेदारी अंकन के आधार पर दिनांक 23.01.2007 को अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण संख्या 589 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। अपीलाधीन भूमि पर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी कभी कब्जे काश्त नहीं रही एवं न ही रेस्पा0 संख्या 3 से 7 का मौके पर कब्जा काश्त है। रेस्पा0 संख्या 1 व 2 ने गलत खातेदारी अंकन व अवैध नामान्तकरण संख्या 589 के आधार पर विधि विरूद्व विकय पत्र दिनांक 05.07.2007 को रेस्पाडेन्ट संख्या 3 से 7 की माता भगवती देवी पत्नि श्री रामेश्वर के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्व करवा दिया और उक्त विकय पत्र के आधार पर भगवती देवी पत्नि रामेश्वर के नाम से नामान्तकरण संख्या 604 दिनांक 06. 02.2008 स्वीकृत करवा लिया। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 नामान्तकरण संख्या 604 को गलत गैर कानूनी मानते है इसलिए उन्होंनें अपीलाधीन भूमि का विरासत का नामान्तकरण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जमवारामगढ को पुनः सुनवाई हेतु निर्देशित किया। इसके उपरान्त अपीलधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलांट को हुई। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 23.01.2007 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. सात की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर भरा जाकर स्व. गुलाब की पुत्री स्व. फूली के जायन्दा संतानो के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। अपीलांट द्वारा सजरा अपील में गलत पेश किया गया है। अपीलांट का कोई संबंध गुलाब बैवा भौरीलाल से नहीं रहा है। गुलाब की पुत्री फूल कंवर थी एवं फूल कंवर के पुत्र व पुत्री रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम गुलाब देवी की अपीलाधीन भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तकरण खुला है जो सही है। अपीलाधीन भूमि भगवती बेवा रामेश्वर को दिनांक 05.02.2007 को विक्रय कर दी उसका नामान्तकरण संख्या 604 भी दिनांक 06.02.2008 को भगवती देवी पत्नी रामेश्वर के नाम स्वीकार हो चुका है। दीपक के पिता का नाम दुर्गालाल तथा दादा का नाम भंवरलाल था जो 1961 की मतदाता सूची में दर्ज है। गुलाब देवी के पति का नाम भौरीलाल दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि भंवरलाल व भौरीलाल अलग अलग व्यक्ति है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 2 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत के आधार पर नामान्तरकरण नियमानुसार रेस्पा0 1 व 2 के हक में स्वीकार किया गया है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा लिखित बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 589 ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण गुलाब देवी बेवा भौरीलाल के फोत होने पर विरासत के आधार पर गुलाब देवी की एकमात्र पुत्री स्व. फूल कंवर के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

की जांच कर निर्णय करने हेतु रिर्पोट की लेकिन तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 23.01.2007 को ही नामान्तकरण संख्या 589 रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के बिना वारिसान की जांच करवाये स्वीकृत कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। रेस्पा0 संख्या 1 व 2 की नानी स्व. गुलाब देवी की मृत्यु दिनांक 23.04.1979 को हो गई थी जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण 27 वर्ष पश्चात एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.01.2007 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ स्वीकृत कर दिया गया। वकील अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट के दादा की कब्जे काश्त भूमि का स्व. गुलाब देवी के सजरा खानदान की जांच किए बिना रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकण तस्दीक किया है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित किए जाने से पूर्व स्व. गुलाब देवी की विधिक वारिसान एवं सजरा खानदान की जांच की जानी चाहिए थी, जो प्रकरण में प्रतीत नहीं होता है। वकील रेस्पाडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि रेस्पाडेन्टगण अपीलाधीन भूमि पर किसी प्रकार से कब्जे काश्त है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 589 ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ पर पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.01.2007 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त कलक्टर-प्रथम
कलक्ट्रेट, जयपुर

(डा. मोहन लाल यादव)
अति. कलक्टर-प्रथम,
जयपुर